<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम हापुड़।</u>

उपस्थितः– विपिन कुमार–।। (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-6070)

UPHP010050372022

सत्र वाद सं0–713/2022

सरकार बनाम अंकित कुमार।

मु0अ0सं0–143/2022,
अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम,
थाना हापुड़ देहात,
जनपद हापुड़।

<u>दिनांक 09.07.2024</u>,

पत्रावली पेश की गयी। प्रार्थी/ अभियुक्त अंकित की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी की ओर से सम्बन्धित मुकदमें में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 नम्बर 18558/2024 अंकित बनाम उ.प्र. राज्य योजित किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2024 को आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से अन्य मु0अ0सं0 313/2022 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना हापुड़ देहात में दोनों जामिनान को मुकदमा हाजा में भी स्वीकार किया जायेगा। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मु0अ0सं0 313/2022 में प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से दाखिल उक्त दोनों जामिनान को मुकदमा हाजा में भी स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ससम्मान अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह उल्लेखित किया है कि आवेदक द्वारा उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार किसी भी वाद में एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं उसी धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल किये जाने की स्थिति में उसे उसके विरूद्ध लम्बित सभी 4 वादों में पारित जमानत आदेशों के लिए दाखिल माना जायेगा।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को 1,00,000/–रूपये की दो जमानते तथा समान धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर उसके विरूद्ध लम्बित सभी चारों वादों में पारित जमानत आदेशों के लिए दाखिल किया जाना माना जायेगा।

दिनांक 09.07.2024,

(विपिन कुमार–।।)
J.O. Code (UP-6070)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हापुड़।